

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227697

पटना, दिनांक

13/04/15

ग्रा0वि014(पटना)नालंदा-01/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री अनिल कुमार,
वरीय उप समाहर्ता, गया।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिन्द, नालंदा)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालंदा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप बिन्द प्रखंड (जिला-नालंदा) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरान्त अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

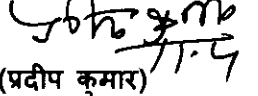
खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि (रुपये में)
51	69870

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 51 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(प्रदीप कुमार)

सचिव

New Delhi
Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified.*

सय माद
Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

11/11/06
1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

11/11/06
2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
स. व. प्रमोद प्रदोष
राजधानी कक्षा

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, it is requested that the Government may ensure that 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

(Amita Sharma)
Joint Secretary

क्रमांक 265/2005/ग्रा0वि0पटना, दिनांक- 8/वि0वि040/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुसूचित सहित
सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

क्र.	जिला	प्रखण्ड	प्र0वि0पदा0 का नाम	अवशेष खाद्यान्न	समतुल्य राशि
1	नालंदा	अस्थवाँ	श्री अनिल कुमार	2232	3057840
2	नालंदा	अस्थवाँ	श्री चितरंजन प्रसाद	2232	57840
3	नालंदा	बेन	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	398	545260
4	नालंदा	बिहारशरीफ	श्री बालेश्वर प्रसाद	6379	8739230
5	नालंदा	बिन्द	श्री अनिल कुमार	51	69870
6	नालंदा	चन्डी	श्री शंभु प्रसाद सिंह	464	635680
7	नालंदा	एकंगरसराय	श्री चंद्र देव प्रसाद	2173	2977010
8	नालंदा	गिरियक	श्री सतीश रंजन सिन्हा	3661	5015570
9	नालंदा	हरनौत	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	116	158920
10	नालंदा	हिलसा	मो0 अनवर हुसैन	2497	3420890
11	नालंदा	इसलामपुर	श्री अजय कुमार	3392	4647040
12	नालंदा	इसलामपुर	संजय कृष्ण	3392	4647040
13	नालंदा	कतरीसराय	श्री सतीश रंजन सिन्हा	421	576770
14	नालंदा	नगरनौसा	श्री विजय कुमार उपाध्याय	1672	2290640
15	नालंदा	नूरसराय	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	48.9	66993
16	नालंदा	नूरसराय	श्री पंकज पटेल	48.9	66993
17	नालंदा	परवलपुर	श्री विनोदा नंद झा	283	387710
18	नालंदा	रहुई	श्री जयराम पाल	2342	3208540
19	नालंदा	राजगीर	श्री सतीश रंजन सिन्हा	1238	1696060
20	नालंदा	सरमेरा	मो0 अनामुलहक सिद्दीकी	230	315100
21	नालंदा	सरमेरा	श्री चंदन कुमार	230	315100
22	नालंदा	सिलाव	श्री सतीश रंजन सिन्हा	983	1346710
23	नालंदा	सिलाव	श्रीमती सिम्मी प्रसाद	983	1346710
24	नालंदा	थरथरी	श्री शेष नाथ सिंह	1914	2622180